उत्तराखण्ड शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

संख्याः — /VII-2/53-एम0एस0एम0ई0/2016

देहरादून, दिनाँक 15 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-488/सात-II-08/08 दिनांक 28.02.2008 द्वारा दिनांक 01.04.2008 से प्रभावी "विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008" (यथासंशोधित-2011) के प्रस्तर 5(1) भूमि संसाधन विकास योजना शीर्षक के अंतर्गत बिन्दु- (VIII) निम्नवत जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

बिन्दु (VIII)- "श्रेणी-ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गयी भूमि (वर्तमान में निर्धारित सीमा न्यूनतम 02 एकड़) जिसका उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सका है, को क्रेता द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के संबंध में अनुरोध किये जाने पर स्टॉम्प शुल्क की वसूली किये बिना निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अंतर्गत निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि को निजी औद्योगिक आस्थान घोषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग स्थापना हेतु उक्त आस्थान में भूखण्ड क्रय करने पर अन्य उद्यमियों को भी स्टॉम्प शुल्क में छूट की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी, परन्तु उक्त छूट केवल औद्योगिक उपयोग के लिये ही अनुमन्य होगी।"

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:1854/ VII-2/53-एम0एस0एम0ई0/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुँमाऊ।
8. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून द्वारा उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. निजी सचिव-मा0 लघु उद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
13. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।